M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
30 NOV 2019
Inward No. 6091

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 27/11/2019

क्र. एफ 16 - 23/2018/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स आई.टी.सी. लि., औद्योगिक क्षेत्र बडियाखेडी जिला सीहोर में रूपये 651.00 करोड के स्थायी पूंजी निवेश से एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण एवं लॉजिस्टिक्स सुविधा परियोजना स्थापना हेतु पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव के पुर्नविलोकन हेतु अभ्यावदेन को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2019) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अंतर्गत प्रथम चरण में किये जाने वाले भवन, प्लांट एवं मशीनरी पर 40 प्रतिशत की समान दर से (जिसमें खादय प्रसंस्करण इकाईयों हेतु विशेष गणक सम्मिलित है) शर्तो के अध्याधीन। अन्य गणक का लाभ पात्रतानुसार प्राप्त होगा। उक्त सहायता परियोजना अंतर्गत सड़क, परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहन के उपयोग किये जानेतथा नीति अंतर्गत प्राप्त सहायता का पुनर्निवेश इकाई के विस्तार एवं आधुनिकीकरण में किये जाने संबंधी अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) प्रस्तुत किये जाने पर देय होगी।
2. **विद्युत शुल्क से छूट** - परियोजना अंतर्गत प्रथम चरण में 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
3. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - रूपये 5 प्रति यूनिट की स्थिर दर से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु विद्युत उपलब्ध करायी जावे। संबंधित विद्युत वितरण कंपनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) एम.पी.आई.डी.सी से प्राप्त कर सकेगी।
4. **मण्डी शुल्क से छूट** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2019) में निहित प्रावधानानुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों यंत्र-संयंत्र में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या 05 वर्ष की अवधि इसमें से जो भी कम हो, का लाभ दिया जावे।
5. **स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क से प्रतिपूर्ति** - लीज भूमि पर देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावे।
6. परियोजना को उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2019) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।
7. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना के प्रथम चरण में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावें
8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सजेश राजोरा) 27/11/19
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर .....

पृ.क्र. एफ 16 - 23/2018/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/11/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला सीहोर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स आई.टी.सी. लि., सेन्ट्रल प्रोजेक्टस ऑगेनाईजेशन, न. 18, बनसवाडी मेन रोड, मारूतिसेवा नगर, बैंगलोर-560005

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

ae (mvsl)